

कलैक्टर रेट भूमि का मूल्यांकन बराये वर्ष 2021-22 (प्रथम चरण) गांव सम्बन्धित उप-तहसील, मोरनी जिला पंचकुला।

कलैक्टर रेट वर्ष 2020-21 (द्वितीय चरण)

कलैक्टर रेट वर्ष 2021-22 (प्रथम चरण)

क्र0सं0	नाम भोज	सडक के नजदीक रिहायशी तथा आबादी सहित प्रति बिस्वा	व्यवासिक प्रति बिस्वा	चाही/ कलार् प्रति बिघा	बानी,औबड, दायम, औबड अक्ल ,प्रति बिघा	बंजर, प्रति बिघा	गैर मुमकिन पहड, प्रति बिघा	सडक के नजदीक रिहायशी तथा आबादी सहित प्रति बिस्वा	व्यवासिक प्रति बिस्वा	चाही/कलार् प्रति बिघा	बानी,औबड दायम,औबड अक्ल ,प्रति बिघा	बंजर, प्रति बिघा	गैर मुमकिन पहड, प्रति बिघा
1	भोज बालगा	125000	-----	190000	170000	135000	125000	125000	-----	190000	170000	135000	125000
2	भोज जबयाल	150000	200000	220000	180000	155000	135000	150000	200000	220000	180000	155000	135000
3	भोज धारदी	150000	200000	220000	180000	155000	135000	150000	200000	220000	180000	155000	135000
4	भोज मटौर	150000	200000	220000	180000	155000	135000	150000	200000	220000	180000	155000	135000
5	भोज नगल	90000	-----	190000	155000	135000	120000	90000	-----	190000	155000	135000	120000
6	भोज पान्टा	120000	-----	190000	155000	135000	120000	120000	-----	190000	155000	135000	120000
7	भोज पलासरा	90000	-----	190000	155000	135000	120000	90000	-----	190000	155000	135000	120000
8	भोज कुदाना	90000	-----	190000	155000	135000	120000	90000	-----	190000	155000	135000	120000
9	भोज राजपुरा	85000	-----	190000	155000	135000	120000	85000	-----	190000	155000	135000	120000
10	भोज नाईटा	-----	-----	175000	155000	135000	120000	-----	-----	175000	155000	135000	120000
11	भोज टिपरा	-----	-----	175000	155000	135000	120000	-----	-----	175000	155000	135000	120000
12	भोज कोटी	85000	-----	175000	145000	135000	120000	85000	-----	175000	145000	135000	120000
13	भोज धारडा	-----	-----	175000	145000	135000	120000	-----	-----	175000	145000	135000	120000
14	भोज कोठी	-----	-----	175000	145000	135000	120000	-----	-----	175000	145000	135000	120000

नोट:- 1. यदि किसी व्यक्ति का भूमि खरीद पर राजस्व रिकार्ड के अनुसार पिछले 12 से 30 वर्ष तक बतौर गैर भरसी मूजारा कच्चा चला आ रहा है और वही व्यक्ति कच्चे वाली भूमि को खरीदता है, तो इस खरीद की कीमत उपरोक्त दर्शाई गई कीमत का 1/3 मानी जाएगी।

2 यदि भूमि कृषि योग्य अथवा आबादी या सडक से 100 फुट की दूरी पर है तो उस भूमि पर कृषि का कलैक्टर रेट निर्धारित होगा

3 तागिर शुदा मकानो का रेट पक्का 10000/-प्रतिवर्ग फुट तथा कच्चा 800/-रुपय प्रति वर्ग फुट के हिसाब से होगा।

4.5(पांच) वर्ष से पुराने मकान पर 1 प्रतिशत के हिसाब से छुट होगी।

5.नोट: यदि कोई खरीददार 1 बिघा (1000 गज) या उससे कम जमीन नगर निगम या उसकी सीमा से बाहर खरीदता है और वह व्यक्ति उसी खेवट में पहले से रिकार्ड में हिस्सेदार है और कृषि भूमि खरीद रहा है तो उस स्थिति में कृषि भूमि के कलैक्टर रेट लागू होंगे। अन्यथा एक हजार वर्ग गज या उससे कम भूमि खरीदने पर रिहायशी दर के कलैक्टर रेट लागू होंगे।

नायब तहसीलदार तहसीलदार, मोरनी।
 उप-मण्डल अधिकारी (ना0), पंचकुला।
 जिला विकास एवं पर्यायत अधिकारी, पंचकुला।
 जिला राजस्व अधिकारी, पंचकुला।
 जनरिल उपायुक्त, पंचकुला।
 उपायुक्त, पंचकुला।